झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–117 वर्ष 2017

मनोज कुमार अग्रवाल .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य और अन्य .... उत्तरदाता

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री कल्याण रॉय, अधिवक्ता।

श्रीमती संध्या सहाय, अधिवक्ता

राज्य के लिए :– श्री चंचल जैन, ए0जी0 का जे0सी0।

04/11.09.2017 वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी सं0 2–प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा कन्फीकेशन वाद संख्या 87/2011 में दिनांक 09.12.2015 के पारित आदेश को रद्द करने क लिए दायर की गई है, जिसके कारण 500 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया गया है।

श्री चंचल जैन, विद्वान ए0जी0 के जे0सी0 प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 ए के तहत, प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उपायुक्त–सह–अपीलीय प्राधिकरण, रामगढ़ के समक्ष अधिहरण अपील दायर करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 52–बी के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकरण अर्थात् सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है। वर्तमान रिट याचिका इस स्तर

पर पोषणीय नहीं है, इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्त्ता के पास उक्त अधिनियम के तहत एक वैकल्पिक उपाय है।

उक्त निवेदन के मद्देनजर, रिट याचिका को इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्त्ता अधिनियम की धारा 52 ए के तहत उपायुक्त–सह–अपीलीय प्राधिकरण, रामगढ़ के समक्ष अपील दायर करके अपने पास उपलब्ध सभी बिंदुओं को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

हालांकि, यह देखा गया है कि यदि याचिकाकर्त्ता उपायुक्त–सह–अपीलीय प्राधिकरण, रामगढ़ के समक्ष प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 09.12.2015 के आदेश के खिलाफ परिसीमा याचिका के साथ एक अपील दायर करता है तो उस पर विचार किया जाएगा और एक युक्तियुक्त आदेश द्वारा निपटाया जाएगा, अधिमानतः अपील दायर करने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर।

तद्नुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री राजेश शंकर, न्याया0)